राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4585/2024

सुमित्रा सोमनि

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, उदयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खारपिना, गिरवा, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.12.2024
आदेश की दिनांक : 27.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री रामप्रताप सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 07.12.2024 के विवादित आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को प्रतिबंध अवधि में इस तथ्य पर विचार किए बिना दूर के स्थान पर नियुक्ति दी गई थी कि पास के नियुक्ति स्थान पर शिक्षक ग्रेड III लेवल 2 सामाजिक अध्ययन का पद रिक्त है। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 184 पर रखा गया था। प्रत्यर्थी विभाग ने विवादित आदेश के तहत अपीलार्थी की नियुक्ति का स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खरपीना, गिर्वा, उदयपुर से बदलकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जाबाला, नाला, ब्लॉक गिर्वा, उदयपुर कर दिया और उन्होंने अवैध रूप बिना काउंसलिंग आयोजित किए अपना पद बदल दिया और साथ ही आस–पास के रिक्त पद को दिखाए बिना नियुक्ति ब्लॉक को बंद कर दिया गया। (अनुलग्नक–1) इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 14.11.2024 को आपत्तिजनक आदेश जारी किया, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने शिक्षकों को अधिशेष घोषित करके उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। प्रत्यर्थी विभाग ने काउंसलिंग आयोजित किए बिना ही पोस्टिंग का आपत्तिजनक आदेश जारी कर दिया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्ण इरादे से अवैध रूप से अधिशेष घोषित करके नियुक्त किया गया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के पद पर कार्यरत है। उसके बाद अपीलार्थी ने अपनी नियुक्ति के स्थान पर

कार्यभार ग्रहण कर लिया तथा पूरी ईमानदारी और संतुष्टि के साथ अपनी सेवाएं दे रहा है। प्रत्यर्थी विभाग ने विवादित आदेश के तहत अपीलार्थी की नियुक्ति का स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खरपीना, गिर्वा, उदयपुर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जाबाला, नाला, ब्लॉक गिर्वा, उदयपुर में बदल दिया तथा उन्होंने काउंसलिंग किए बिना तथा पास में रिक्त पद दिखाए बिना अवैध रूप से नियुक्ति का ब्लॉक बदल दिया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 07.12.2024 के आदेश के तहत प्रतिबंध अवधि में अपीलार्थी की नियुक्ति का स्थान अवैध रूप से बदल दिया और अपीलार्थी को अवैध रूप से अधिशेष घोषित कर दिया, जबकि अपीलार्थी सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार है। अपीलार्थी अपने विद्यालय में सबसे वरिष्ठ अभ्यर्थी है, इसके बावजूद रिक्त पदों की उपलब्धता के बावजूद उसे बिना विवेक का प्रयोग किए तथा विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना पद पर नियुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थी विभाग ने विवादित आदेश जारी करते समय न तो वरिष्ठता पर विचार किया है और न ही नियमों के अनुसार कोई निर्णय दिया है। (अनुलग्नक–3)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आदेश दिनांक 17.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खारपिना, गिरवा, उदयपुर में अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण दो सप्ताह में किया जावे। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां

यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य